N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): नगर (कमिश्नरेट प्रयागराज)
P.S. (थाना): कीडगंज Year (वर्ष): 2024
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0125
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 18/07/2024 20:47

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	420
2	भा दं सं 1860	467
3	भा दं सं 1860	468
4	भा दं सं 1860	469
5	भा दं सं 1860	471
6	भा दं सं 1860	323
7	भा दं सं 1860	504
8	भा दं सं 1860	506
9	भा दं सं 1860	120-B

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): दरमियानी दिन
Date From (दिनांक से): 02/05/2023 Date To (दिनांक तक): 27/05/2023
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

Scanned with CamScanner

(b)Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 18/07/2024 Time (समय):20:47 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 046 Date & Time (दिनांक और समय): 18/07/2024 20:47 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S.

1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): अन्य Beat No. (बीट सं.):

(b) Address अदम तहरीर
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

Scanned with CamScanner

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** श्री अग्रदास चेला महंत स्व0 भोलादास जी

(b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1979

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No.(पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	सचिव,श्री पंचायती अखाड़ा,बड़ा उदासीन निर्वाण,मुख्यालय कृष्णानगर कीडगंज ,कीडगंज,नगर (कमिश्नरेट प्रयागराज),उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	सचिव,श्री पंचायती अखाड़ा,बड़ा उदासीन निर्वाण,मुख्यालय कृष्णानगर कीडगंज ,कीडगंज,नगर (कमिश्नरेट प्रयागराज),उत्तर प्रदेश,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9000000000

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

Scanned with CamScanner

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	दुर्गा दास मुख्य मंहत दक्षिण पद्धत			1. श्री पंचायती आखाडा,वडा उदासीन कृष्णा नगर कीडगंज , कीडगंज,नगर (कमिश्नरेट प्रयागराज),उत्तर प्रदेश,भारत
2	व्यासमुनि मुकामी महंत			1. श्री पंचायती आखाडा वडा , उदासीन कृष्णा नगर कीडगंज , कीडगंज,नगर (कमिश्नरेट प्रयागराज),उत्तर प्रदेश,भारत
3	गोविन्द दास मुकामी महंत			1. श्री पंचायती आखाडा वडा , उदासीन राजघाट कनखल , हरिद्वार,उत्तराखण्ड,भारत
4	प्रेमदास मुकामी महंत			1. श्री पंचायती आखाडा बडा , उदासीन राजघाट कनखल, हरिद्वार,उत्तराखण्ड,भारत
5	अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात			1. अज्ञात ,अज्ञात

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी टाइपशुदा ---------- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0-5 प्रयागराज प्रार्थना पत्र सं0-167/XII सन् 2023 अग्रदास, चेला महत स्वर्गीय भोलादास जी, सचिव, श्री पंचायती अखाड़ा बडा उदासीन निर्वाण मुख्यालय कृष्णानगर, कीडगंज, प्रयागराज। प्राथी बनाम 1- दुर्गा दास मुख्य मंहत दक्षिण पद्धत, 2-व्यासमुनि, मुकामी महत, निवासीगण श्री पंचायती आखाडा बडा उदासीन कृष्णा नगर कीडगंज प्रयागराज। 3-गोविन्द दास, मुकामी महंत, 4-प्रेमदास, मुकामी महंत निवासीगण श्री पंचायती आखाडा बडा उदासीन राजघाट कनखल हरिद्वार उत्तराखण्ड। 5-अन्य सहयोगी---

Scanned with CamScanner

विपक्षीगण अर्न्तगत धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी थाना-कीडगंज, प्रयागराज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द0प्र0सं0 महोदय, प्रार्थी सविनय निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 1. यह कि प्रार्थी एवं अभियुक्तगण सभी उदासीन सम्प्रदाय के है और श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के सदस्य है। 2. यह कि श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अनुसार एक पंजीकृत सोसायटी है और इसका प्रधान कार्यालय कीडगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। और कई शाखा कार्यालय पूरे देश में फैले हुए हैं, जिनमें हरिद्वार, उज्जैन,त्रयंबक, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, हैदराबाद और अन्य स्थान शामिल हैं। 3. यह कि उपरोक्त अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण के पंजीकृत जापन के नियम 8 के अनुसार, इसे मोटे तौर पर चार पद्धतों अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में विभाजित किया गया है, इन चार पद्धतों में से प्रत्येक का नेतृत्व एक मुखिया महंत करता है जो निर्वाचित सदस्य होते है और उनके चुनाव के नियम और प्रक्रिया उपरोक्त सोसायटी के पंजीकृत जापन में विस्तार से प्रदान की गई हैं। 4. यह कि यहां पर यह उल्लेख करना उचित है कि प्रत्येक पद्धत को उनके संबंधित मुखिया महंत की अध्यक्षता में अन्य पद्धतों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना अपने पद्धतों के भीतर आने वाले आश्रमों/मठों के अपने दैनिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा सभी चार पद्धतों का उदासीन संप्रदाय के प्रधान कार्यालय, शाखा कार्यालय में समान प्रतिनिधित्व है और रिकार्ड के अनुसार संप्रदाय की सम्पतियों के प्रबंधन और बैंक खातों के संचालन में उनका समान अधिकार है। 5. यह कि उदासीन सम्प्रदाय के उपनियम दो समितियों का प्रावधान करते हैं, शासी निकाय और अस्थानीया समिति (स्थानीय समिति)। शासी निकाय चार मुखिया महंतों और प्रधान कार्यालय और शाखाओं में तैनात सभी स्थानीय महंतों (मुकामी) से बना है, जिसके सोसायटी के रजिस्ट्रार के पास दाखिल सोसायटी के वार्षिक रिटर्न के अनुसार वर्तमान में 61 सदस्य हैं। नियमों के अनुसार शासी निकाय की किसी भी बैठक के लिए कोरम कम से कम 25 सदस्यों का होता है। 6. यह कि इसके अलावा, उदासीन सम्प्रदाय के नियमों और उपनियमों में यह भी उल्लेख किया गया है कि सचिव और सहायक सचिव का चुनाव अथवा निष्कासन प्रबन्ध समितियां अस्थानिया समिति (स्थानीय समिति) द्वारा किया जाता है। 7. यह कि हाल ही में उत्तर, पूर्व और दक्षिण पद्धतों के अन्य तीन मुखिया महंतों और उनके सम्बन्धित अनुयायियों द्वारा अवैध, अनैतिक और मिली भगत के माध्यम से पश्चिम पद्धत की शक्तियों को हड़पने और अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था। इस प्रकार, अन्य तीन मुखिया महंतो और उनके अनुयायियों ने पश्चिम पद्धत के मुखिया महंत श्री रघुमुनि, उदासीन संप्रदाय के प्रधान कार्यालय के महासचिव मुखिया महंत अग्रदास एवं मुखिया महंत दामोदार दास (कोषाध्यक्ष (कोठरी), कनखल, हरिद्वार) को बदनाम करने के लिए झूठे, आधारहीन आरोपों का इस्तेमाल किया था। उक्त प्रयास किसी भी तरह से सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पश्चिम पद्धत से बाहर करने का था, ताकि ये लोग योजनाबद्ध तरीके से उदासीन सम्प्रदाय से

Scanned with CamScanner

पश्चिम पद्धत के बढ़ते अनुयायियों, मुखामियों, निर्वाणों को पूरी तरह से कम कर सकें। 8. यह कि अपने उपरोक्त गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्व, उत्तर और दक्षिण पद्धत के तीन मुखिया महंतों ने मिली भगत कर वैध रूप से निर्वाचित मुखिया महंत श्री रघुमुनि, उदासीन सम्प्रदाय के प्रधान कार्यालय में मुखामी महंत अग्रदास, महासचिव, एवं शाखा कार्यालय (हरिद्वार) में कोषाध्यक्ष (कोठारी) मुकामी महंत दामोदर दास को हटाने के लिए एक संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करके इसे 02.05.2023 को पारित कर दिया था। जबकि नियमों के अनुसार इनको हटाने के लिए अलग-अलग प्रक्रिया निर्धारित है। दक्षिण पद्धत के मुखिया महंत दुर्गादास के निर्देशन में, उपरोक्त नामित अभियुक्तों के साथ-साथ गुण्डों ने जबरदस्ती अधोहस्ताक्षरी से महासचिव का प्रभार लेने की कोशिश की और जब इसका विरोध किया गया, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और गम्भीर परिणाम भुगताने की धमकी दी गई। जिसके लिए मेरे द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज कराई गई है। 9. यह कि चूँकि उपरोक्त संकल्प पत्र दिनांक 02.05.2023 अवैध, अलोकतांत्रिक और सोसायटी पंजीकृत नियमों और उपनियमों का घोर उल्लंघन था, इसलिए मुखिया महंत श्री रघुमुनि ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन), प्रयागराज द्वारा सिविल वाद संख्या 381/2023 में अपने आदेश दिनांक 23.05. 2023 के माध्यम से उल्लेख किया कि सोसायटी के पंजीकृत नियमों और उपनियमों के अनुसार किसी पद्धत के महंत के चुनाव या पद से हटाने के सम्बन्ध में एक संकल्प पत्र प्रस्ताव पारित करने के लिए एक शासी निकाय की बैठक में 25 सदस्यों का कोरम होना चाहिए था, चूँकि उपरोक्त प्रस्ताव केवल तीन लोगों द्वारा पारित किया गया था, जोकि प्रस्ताव से ही स्पष्ट था, जोकि केवल तीन लोगों की उपस्थिति दर्शाता है बैठक में उक्त 25 सदस्यों का कोरम पूरा न होने के कारण दिनांक 02.05.2023 के अवैध प्रस्ताव के प्रभाव पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी है। प्रार्थी को उपरोक्त अवैध प्रस्ताव के आधार पर जबरन निकालने के लिए हाथापाई भी की गई थी जिसकी शिकायत प्रार्थी ने दिनांक 13.05.2023 को की थी। 10. यह कि जब से न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2023 के माध्यम से दिनांक 02.05.2023 के संकल्प पत्र के विरूद्ध अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया है, उपरोक्त नामित व्यक्तियों अर्थात दक्षिण पद्धत के मुखिया महंत दुर्गादास महंत व्यासमुनि, महंत गोविन्द दास एवं उनके अनुयायी क्रोधित और अप्रसन्न होकर ऐसे अन्य तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वे नियंत्रण हासिल करने के लिए अधोहस्ताक्षरी, वर्तमान में महासचिव और मुकामी महंत दामोदर दास (हरिद्वार कोषाध्यक्ष) को हटा सके और अखाड़े के बैंक खातों में पड़ी करोड़ों की धनराशि और इसकी बड़ी संख्या में सम्पत्तियों को बेचा जा सके और उनका दुरूपयोग किया जा सके। 11. यह कि अधोहस्ताक्षरी को पता चला है कि 27.05.2023 को बिना किसी सूचना या एजेंडे के एक कथित बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पहले से ही स्थगित प्रस्ताव दिनांक 02.05.2023 की पुनरावृत्ति तैयार करने की मांग की गई थी और पश्चिम पद्धत के मुखिया

Scanned with CamScanner

महंत श्री रघुमुनि, उदासीन सम्प्रदाय के प्रधान कार्यालय में महासचिव मुकामीमहंत अगर दास और मुकामी महंत दामोदर दास, कोषाध्यक्ष(कोठारी), शाखा कार्यालय हरिद्वार को हटाने के लिए इसे फिर से अवैध रूप से पारित किया गया। उपरोक्त के अलावा, अवैध रूप से उक्त अवैध प्रस्ताव के माध्यम से महंत व्यास मुनि को स्थायी सचिव बनाया गया और महंत हंसमुनि को सहायक सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। 12. यह कि दिनांक 27.05.2023 को ऐसी किसी बैठक के सम्बन्ध में न तो कोई नोटिस जारी किया गया था और नही ऐसी किसी बैठक का समय किसी सदस्य को भेजा गया था, क्योकि ऐसी किसी भी बैठक का कोई अवसर ही नहीं था और अब 27.05.2023 की कथित बैठक को शासी निकाय के सदस्यों की बैठक का रंग दिया जा रहा है। 13. यह कि जैसा कि समिति के नियमों और उपनियमों द्वारा अनिवार्य है शासी निकाय की बैठक का समय सचिव द्वारा तय किया जाएगा जिसे सभी सदस्यों को भेजा जाएगा और चूंकि अधोहस्ताक्षरी (सचिव) इस तरह का नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत एक मात्र व्यक्ति है और अधोहस्ताक्षरी ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है, इसलिए उक्त कथित बैठक अपने आपमें अवैध है। इसके अलावा, यह अनिवार्य है कि बैठक में कम से कम 25 सदस्यों का कोरम होना चाहिए और बैठक की अध्यक्षता श्री महंत द्वारा, यदि वह उपस्थित हैं, अन्यथा किसी वरिष्ठ महंत द्वारा की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठक में सदस्यों की भौतिक रूप से उपस्थिति अनिवार्य है। 14. यह कि उपरोक्त नियमों में से किसी का भी पालन नहीं किया गया, उपरोक्त आरोपीगणों ने दिनांक 27.06.2023 की उक्त बैठक को शासी निकाय की बैठक बताने एवं सही ठहराने के लिए बैक डेटेड हस्ताक्षर लेने की साजिश रची। दिनांक 27.05.2023 को अवैध संकल्प पत्र पर शासी निकाय के सदस्यों के हस्ताक्षर विभिन्न स्थानों की यात्रा करके लिए गए हैं और यह दिखाया है कि उस दिन प्रयागराज में कोरम पूरा था। विभिन्न स्थानों पर व्यक्तियों के पिछली तारीखों के हस्ताक्षरों और बैठक में उपस्थित न होने के कारण प्रस्ताव/मिनट तैयार करने की उक्त साजिश, पश्चिम पद्धत के सबसे महत्वपूर्ण महंत, वर्तमान महासचिव और कोठारी को हटाने के लिए स्पष्ट कारणों से रची गई है। रघुमुनि जी, पश्चिम पद्धत के मुखिया महंत है। अभियुक्तों ने 25 सदस्यों के कोरम के आवश्यक मानदण्डों को पूरा करने के लिए 32 सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए पिछले 15-20 दिनों में विभिन्न आश्रमों की यात्रा करके जाली प्रस्ताव/मिनट बुक / रजिस्टर तैयार किया है, ताकि वे दिनांक 27.05.2023 की अवैध बैठक / संकल्प पत्र को उचित ठहरा सकें। 15. यह कि इसके अलावा, महंत दुर्गादास और महंत व्यास मुनि के मार्ग दर्शन में ये लोग अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण के विभिन्न आश्रमों और मठों की यात्रा कर रहे हैं, ताकि अन्य पद्धतों के शासी निकाय के सदस्यों से सम्पर्क किया जा सके और उनसे गवर्निंग बडी मीटिंग के मिनट्स बुक/रजिस्टर पर पिछली तारीख के हस्ताक्षर प्राप्त किए जा सकें। ताकि रिकार्ड को गलत साबित किया जा सके और प्रतिरूपण द्वारा दावा किया जा सके कि दिनांक 27.05.2023 का प्रस्ताव 27.05.2023 को ही इन सदस्यों द्वारा गवर्निंग

Scanned with CamScanner

बडी मीटिंग में पारित किया गया था, ताकि 27.05.2023 के अवैध संकल्प पत्र को उचित और वैध ठहराया जा सके। इनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के मोबाइल टावर लोकेशन, जिन्होने 27.05.2023 के बाद अवैध प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए है और उक्त स्थान पर उस तिथि पर अपनी अनुपस्थिति दर्शा रहे हैं, महंत दुर्गादास और उनके सहयोगियों द्वारा साजिश की सीमा को साबित करेगा। 16. यह कि मुखिया महंत दुर्गा दास के निर्देशों के तहत महंत व्यास मुनि ने हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीति और योजनाएं अपनाई हैं और इस तरह न केवल अनुकूल उपचार का वादा किया है बल्कि अगर किसी महंत ने अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किया है तो हिंसा की धमकियों और यहां तक कि उदासीन संप्रदाय से निष्कासन की धमकियों का भी सहारा लिया है। 17. यह कि इन उपरोक्त नामित व्यक्तियों ने बेईमानी, गैर कानूनी कृत्यों का इस्तेमाल किया है और उदासीन सम्प्रदाय के अन्य पद्धतों के महंतों को अपने हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करने के साधन के रूप में अवैध रास्ता अपनाया है ताकि दिनांक 27.05.2023 के संकल्प पत्र को उचित ठहराया जा सके और वैध बनाया जा सके। इसके अलावा, हाल ही में 26.06.2023 को श्री महंत महेश्वर दास जी ने भी घोषणा की कि उन्हें पहले गुमराह किया गया था और अवैध संकल्प पत्र दिनांक 02.05.2023 और संकल्प पत्र दिनांक 27.05.2023 पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे यह भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये लोग किस हद तक अपने व्यक्तिगत एजेंडे और प्रतिशोध के लिए, अवैध दस्तावेज बनाने के लिए महंतो और श्री महंत महेश्वर दास जी जैसे अन्य सम्मानित व्यक्तियों को परेशान कर सकते है। 18. यह कि उपरोक्त नामित व्यक्तियों के उपरोक्त कृत्य न केवल अवैध, अनैतिक और श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के विरुद्ध है, वल्कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2023 की अवज्ञा और घोर उल्लंघन भी कर रहे है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) प्रयागराज द्वारा निर्देश दिया गया कि मामले के निपटारे तक पश्चिम पद्धत के मुखिया महंत श्री रघुमुनि के कामकाज, कब्जे और अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अतः दिनांक 27.05.2023 का कथित संकल्प पत्र उक्त आदेश दिनांक 23.05.2023 की अवज्ञा एवं अवमानना है। 19. यह कि इन लोगों के आचरण से यह स्पष्ट है कि इनके इरादे दुर्भावनापूर्ण और कुटिलता पूर्ण हैं क्योंकि इन्होने एक झूठा दस्तावेज बनाया है और वे अधोहस्ताक्षरी एवं अन्य वैध पदाधिकारियों को बाहर करने के अपने धोखाधडी और अलोकतांत्रिक प्रयास से इसे एक वैध और वास्तविक संकल्प पत्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उदासीन संप्रदाय के प्रधान कार्यालय में महासचिव मुकामी महंत अगरदास और शाखा कार्यालय (हरिद्वार) में कोषाध्यक्ष (कोठारी) मुकामी महंत दामोदर दास हैं। और अभियुक्तगण विशाल धन पर पहुँच और नियंत्रण हासिल करने के लिए ये अवैध कार्य कर रहे है और अखाडे की सम्पत्तियों को कब्जाने और खुद को गलत लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रहे है। 20. यह कि उपरोक्त मामला फर्जी वाडे से सम्बन्धित है और इसका विना पुलिस द्वारा विवेचना कराये साक्ष्य संकलन संभव नहीं है। 21. यह कि प्रार्थी ने

Scanned with CamScanner

दिनांक 03.07.2023 को थाना कीडगंज जाकर उपरोक्त लोगों के द्वारा किये गये फर्जीवाडे के विरूद्ध लिखित शिकायत की थी। परन्तु थाना कीडगंज द्वारा उपरोक्त लोगो के प्रभाव में आकर प्रार्थी की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और प्रार्थना पत्र की प्राप्ति रसीद नहीं दी और कहा कि जांच कर उचित कार्यवाही की जायेगी। 22. यह कि प्रार्थी ने दिनांक 03.07.2023 को ही जरिये रजिस्ट्री डाक द्वारा थानाध्यक्ष कीडगंज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज से भी लिखित शिकायत की थी परन्तु थाना कीडगंज द्वारा प्रार्थी की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2023 एवं रजिस्ट्री रसीद दिनांक 03.07. 2023 की छायाप्रति संलग्नक संख्या-1 के रूप में संलग्न है। 23. यह कि प्रार्थी ने दिनांक 04.08.2023 को आईजीआरएस पर भी अपनी शिकायत दर्ज करायी परन्तु आज तक प्रार्थी की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.08.2023 जो आईजीआरएस पर भेजा गया था की छायाप्रति संलग्नक संख्या-2 के रूप में संलग्न है। अतः प्रार्थी माननीय न्यायालय की शरण में आया है। प्रार्थना अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि कीडगंज थानाध्यक्ष को आदेशित करें कि विपक्षीगणों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें। धन्यवाद दिनांक-19-8-2023 प्रार्थी हस्ताक्षर हिन्दी अपठनीय अगरदास चेला महंत स्वर्गीय भोलादास जी, सचिव श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण, मुख्यालय कृष्णानगर, कीडगंज प्रयागराज। //नोट:- मैं का0 4271 अरविन्द कुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर व कायमी मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोल बोलकर टाइप करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है ।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): UMASHANKAR SINGH YADAV **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 940580277 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

Scanned with CamScanner

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

18.7.24

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name, SANJAY KUMAR SING
Rank (Inspector)
No. 072050141

Scanned with CamScanner